ई.11016/02/2016-हिन्दी

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांकः 24-8-2016

सर्कुलर

विषयः माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य कर रही केन्द्रीय हिन्दी समिति की 30वीं बैठक में दिए गए सुझाव का कार्यान्वयन।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 11 अगस्त, 2016 के पत्र संख्या 14011/02/2011-रा.भा. (नीति) द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य कर रही केन्द्रीय हिन्दी समिति की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 'छ' की उप मद संख्या xiii में दिए गए सुझाव का हवाला देते उक्त सुझाव का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कथित सुझाव इस प्रकार है-

"वरिष्ठ अधिकारियों को अपने कार्यालयीन कार्य में हिन्दी का और अधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी का और अधिक प्रयोग करने हेतु प्रेरित होंगे।"

उपर्युक्त के संदर्भ में मंत्रालय के सभी अधिकारियों (उप सचिव एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारी) से उम्मीद है कि वे अपने कार्यालय के काम में हिन्दी का सरल, सहज एवं सुगम प्रयोग करते हुए केन्द्रीय हिन्दी समिति की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त के उक्त सुझाव का पालन सुनिश्चित करेंगे। सुगम संदर्भ के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के उपर्युक्त पत्र की प्रति संलग्न है।

(के.एम.एम. अलिमाल्मिगोति)

आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी

सेवा में,

1. मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी (उप सचिव एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारी)।
2. मंत्रालय के सभी संगठनों के प्रमुख।
3. निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण को उक्त परिपत्र मंत्रालय के इंट्रानेट पर अपलोड करने हेतु।

अनूप कुमार श्रीवास्तव
Anoop Kumar Srivastava

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
... FLOOR, N.D.C.C. II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

212-H
Diary No. ....
Date 17/8/016

सं0 14011/02/2011-रा.भा.(नीति)

दिनांक : 11 अगस्त, 2016

प्रिय सचिव,

कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्य कर रही केंद्रीय हिंदी समिति की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें, जिसे राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं I/20017/07/2011-रा.भा.(नीति-1) दिनांक 20 अक्तूबर 2011 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को परिचालित किया गया था।

2. कार्यवृत्त के मद सं0 'छ' के उपमद सं0 XIII में सुझाव दिया गया है कि "वरिष्ठ अधिकारियों को अपने कार्यालयीन कार्य में हिंदी का और अधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी हिंदी का और अधिक प्रयोग करने हेतु प्रेरित होंगे।" इस संदर्भ में सरकार के अधीन कार्य करते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ लेते हुए हिंदी की सरलता, सुगमता, सहजता और एकरूपता पर विशेष ध्यान देते हुए हिंदी में कार्य करें और आम बोलचाल की भाषा में मूल रूप से टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहन दें।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि सरकारी कामकाज में संघ की राजभाषा हिंदी का सरल, सहज एवं सुगम प्रयोग अपने स्तर पर सुनिश्चित करें, जिससे अधीनस्थ कर्मचारी भी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने हेतु प्रेरित हों।

सादर,

शुभेच्छु

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)

Secy(WR) (in meeting)

श्री शशि शेखर,
सचिव,
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय,
कमरा सं0 412,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली 110001

115
19/8/016